संख्या:40/2020/511/35-4-2020

प्रेषक ,

अंकित कुमार अग्रवाल,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:28 मार्च,2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद गोरखपुर के नगर पंचायत क्षेत्रों के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर के नगर पंचायत क्षेत्रों के कार्यो हेतु रू. 4293.79 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू.3431.75 लाख (रूपये चौतीस करोड़ इक्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र), की धनराशि निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से निम्नांकित तालिका-1 में इंगित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग तथा तालिका-2 में इंगित कार्यों हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

तालिका-1 (लाख रू. में)

	कार्य (नामित कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग)	**लम्बाई (किमी0)**	**अनुमोदित लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
	नगर पंचायत पीपीगंज के कार्य			
1	वार्ड नं0 06/07 में श्री संजय मद्धेशिया के दुकान से प्राथमिक विद्यालय होते हुए श्री संतोष पासवान के मकान तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य	0.900	141.55	141.55
2	वार्डनं0 01/02/05/06/07/08/10 में दुर्गा मन्दिर से नगर पंचायत सीमा तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य	0.900	159.50	159.50
3	वार्ड नं0 11 में बंजारा पिच रोड से रावत गंज पुलिया तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य	0.600	94.95	94.95
4	वार्ड नं0 11 में श्री कमरूल के मकान से भैंस बाजार गेट तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य	0.800	128.61	128.61
5	वार्ड नं0 11 में आरा मशीन से भगवानपुर मण्डी गेट तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य	0.800	128.61	128.61
6	वार्ड नं0 11 में स्वागत गेट से बंजारा गेट तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य	0.800	128.61	128.61
7	वार्ड नं0 11 में भगवानपुर मण्डी गेट से स्वागत गेट तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य	1.000	160.43	160.43

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	कार्य (नामित कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग)	लम्बाई (किमी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
8	भैंसबाजार से आरा मशीन तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य	1.200	192.35	192.35
	नगर पंचायत सहजनवां के कार्य			
9	वार्ड नं0 12 में समय माता मन्दिर रोड़ से अर्जुन सिंह के खेत तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	1.000	171.95	171.95
10	वार्ड नं0 12 में सुखराम सिंह के खेत से बन्धे तक नाला का निर्माण कार्य।	1.000	171.95	171.95
11	वार्ड नं0 7 में लुचुई से गाहासाड़ रोड़ तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	1.000	206.91	103.45
12	नगर पंचायत सहजनवां में तहसील रोड से शनिचरहिया बाजार तक पिच रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.100	161.07	161.07
13	नगर पंचायत सहजनवां में मो0 पटखौली में पटखौली चैराहा से समय माता मन्दिर गेट तक पिचरोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.300	187.43	187.43
14	वार्ड नं0 01 में एन0एच0 28 मुरारी इण्टर कालेज से काली मन्दिर तक हाटमिक्स प्लांट से पिचरोड एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	1.400	263.91	131.95
15	नगर पंचायत सहजनवां में एन0एच0 28 से बाबूलाल काम्पलेक्स तक पिचरोड का चैड़ीकरण एवं डिवाईडर का निर्माण कार्य।	0.800	374.88	187.44
16	नगर पंचायत सहजनवां में एन0एच0 28 से तहसील रोड होते हुए गाहासाड़ मोड़ तक पिच रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.500	240.05	120.02
17	नगर पंचायत सहजनवां में बाबूलाल काम्पलेक्स से ब्यास सिंह के मकान तक पिचरोड का चैड़ीकरण एवं डिवाईडर निर्माण कार्य।	0.825	386.09	193.04
	नगर पंचायत पिपराईच के कार्य			
18	वार्डनं0 05 में केन यूनियन चैराहा से पिपराईच हाटा मार्ग के दोनों तरफ नाली एवं पटरी पर इंटरलाकिंग का कार्य।	0.450	169.49	169.49
19	नगर पंचायत पिपराईच के विभिन्न वार्डो में सी0सी0 रोड, इण्टर लाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	1.035	252.20	126.10
20	वार्ड नं0 12 में आर0सी0सी0 एवं स्लैब का निर्माण कार्य।	0.450	170.24	170.24
	लोक निर्माण विभाग के कार्यों का योग	**19.86**	**3890.78**	**3028.74**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तालिका-2 **(लाख रू. में)**

	कार्य (नामित कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग)	**लम्बाई (किमी0)**	**अनुमोदित लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
	नगर पंचायत पीपीगंज के कार्य			
21	वार्ड नं0 03 में श्री मुन्नासिंह के मकान से तिघरा जसवलरोड पर नगर पंचायत सीमा तक पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य	0.270	28.57	28.57
22	वार्डनं0 07 में सुजाइन के मकान से सुजाइन चैराहा होते हुए हरिहर की आटा चक्की तक इण्टरलाकिंग रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य	0.370	45.13	45.13
23	वार्ड नं0 04 में श्री रमाशंकर के मकान से श्री हबीबुल्लाह, श्री विपिन तिवारी एवं श्री फूलचन्द चैधरी के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य	0.312	55.06	55.06
	नगर पंचायत सहजनवा के कार्य			
24	वार्ड नं0 12 में चन्द्रभान सिंह के प्लाट से कौशेलेन्द्र सिंह के प्लाट तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	0.086	22.33	22.33
25	वार्ड नं0 12 में कौशलेन्द्र सिंह प्लाट से डंपिंग हाउस तक नाला का निर्माण कार्य।	0.092	23.91	23.91
26	वार्ड नं0 12 में महगू यादव के प्लाट से चन्द्रभान सिंह के प्लाट तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	0.055	14.29	14.29
27	वार्ड नं0 12 में वेद प्रकाश गुप्ता के प्लाट से महंगू यादव के प्लाट तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	0.056	14.55	14.55
28	वार्ड नं0 12 में टाऊन एरिया रोड से मेवालाल के प्लाट तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	0.102	26.47	26.47
29	वार्ड नं0 12 में मेवालाल के प्लाट से वेदप्रकाश गुप्ता के प्लाट तक नाला का निर्माण कार्य।	0.055	14.29	14.29
	नगर पंचायत पिपराइच के कार्य			
30	वार्ड नं0 12 में कबीर नगर में पोस्ट आफिस के सामने से डॉ मुक्तिनाथ वर्मा के मकान तक दोनों ओर नाली का उच्चीकरण एवं इंटर लाकिंग का निर्माण कार्य।	0.098	6.16	6.16
31	वार्ड नं0 09 में हरिलाल मद्धेशिया के घर से देवमंगल के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	0.113	8.02	8.02
32	वार्ड नं0 09 में हरिलाल मद्धेशिया के घर से देव मंगल के घर तक आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	0.420	27.03	27.03
33	वार्डनं0 07 में बुद्धनगर में श्रीपति सिंह के मकान से अनुराधा तिराहा तक मुख्यमार्ग के दोनों तरफ कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	0.568	29.18	29.18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	कार्य (नामित कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग)	लम्बाई (किमी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
34	नगर पंचायत पिपराईच के वार्ड नं0 05 व 06 में सी0सी0 रोड एवं इण्टर लाकिंग का कार्य।	0.690	36.33	36.33
35	नगर पंचायत पिपराईच के विभिन्न वार्डो में सी0सी0रोड, इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.460	51.69	51.69
	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के कार्यों का योग	**3.747**	**403.01**	**403.01**
	लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के कार्यों का योग	**23.607**	**4293.79**	**3431.75**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

4- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा।

5- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

6- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

7- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8- जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को प्राथमिकता पर कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

9- अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

10- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

12- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2020 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2020 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2020 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2020 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

14- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

15- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

16- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

17- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

18- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

19- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

21- प्रयोजनान्तर्गत मूल्यांकित लागत में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 की धनराशि समिम्लित न हो।

22- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त मद/कार्यों में से क्रमांक-3 से 11, 20, 24 से 29, 32, 33 पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य तथा क्रमांक-1, 2, 12 से 19, 21 से 23, 30, 31, 34, 35 पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-02-मलजल तथा सफाई-101-शहरी सफाई सेवायें-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-जलनिकासी कार्यक्रमों के लिए एकमुश्त वयवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या:40/2020/511(1)/35-4-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मुख्यमंत्री।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग/निदेशक एवं मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
13- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अंकित कुमार अग्रावल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।